विषय सूची

क्रं. सं.	अध्याय	पृष्ठ सख्या
1.	परिचय	1
2.	आयोग तथा इसका सचिवालय	1
3.	आयोग के कार्य	1–3
4.	आयोग के मानव संसाधन	3–4
5.	वर्ष के दौरान गतिविधियां	4–8
6.	राज्य आयोग उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा विद्युत सम्बन्धी न्यायाधिकरण द्वारा विवादों का अधिनिर्णय	9–10
7.	राज्य सलाहकार समिति	10–11
8.	वित्त एवं लेखा	11–13
9.	तकनीकी / विनियामक / टैरिफ मामले	13–21
10.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना	21–29
11.	वर्ष 2007–08 की कार्यसूची	29–30
	अनुलग्नक	
	अनुलग्नक के लिए अंग्रेजी भाग को देखें ।	

1 परिचय

हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन 30.12.2000 को किया गया था। आयोग द्वारा 6 जनवरी, 2001 से अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। आयोग का मुख्यालय षिमला में स्थित है।

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36वां) के अधीन आयोग, राज्य में विद्युत क्षेत्र को विनियमित करने, विद्युत उद्योग में पारदर्षिता लाने, एतद् सम्बन्धी प्रतियोगिता को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने, विद्युत प्रभार को युक्तिसंगत बनाने, विद्युत उद्योग में कार्य कुषलता तथा मितव्ययता लाने तथा विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण तथा आपूर्ति सम्बन्धी समस्त कार्यक्लापों को वाणिज्यिक सिद्धान्तों तथा पर्यावरण हितैषी नीतियों के अनुरूप चलाना सुनिष्चित करता है ।

आयोग द्वारा राज्य में विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के उद्देष्य से विभिन्न प्रारूप तथा अन्तिम अधिनियम तैयार किए गये हैं। विद्युत अधिनियम के सेक्षन 105 के तहत यह वार्षिक प्रषासनिक रिर्पोट विधान सभा पटल पर रखने के लिये राज्य सरकार को भेजी जा रही है ।

2 आयोग तथा इसका सचिवालय

इस एक सदस्यीय आयोग का कार्य 31.1.2006 से श्री योगेष खन्ना की अध्यक्षता में किया गया । प्रदेष में अपने कार्य निष्पादन के दौरान आयोग का निरन्तर प्रयास रहा है कि हिमाचल प्रदेष में निष्पक्ष, पारदर्षी तथा उद्देष्य मूलक विनियामक प्रक्रिया स्थापित की जाए। आयोग के सचिव द्वारा मानव संसाधन विकास सहित प्रषासनिक, लेखा तथा तकनीकी मामलों में अध्यक्ष को सहयोग दिया गया। अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी आयोग को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग प्रदान किया ।

3 आयोग के कार्य

आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं :–

- राज्य के अन्दर विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, संचारण एवं व्हीलिंग हेतु थोक, बहुल या खुदरा का शुल्क निर्धारित करना। यह उपबन्धित है कि जहां धारा 42 के अधीन किसी उपभोक्ता वर्ग को खुली पहुंच की अनुमति प्रदान की गई हो ऐसी स्थिति में राज्य आयोग उपभोक्ताओं के ऐसे वर्ग के सम्बन्ध में केवल व्हीलिंग प्रभार तथा उस पर लगने वाला प्रभार, यदि कोई हो तो, का निर्धारण करेगा।

- राज्य के भीतर विद्युत आपूर्ति एवं वितरण हेतु उत्पादन करने वाली कम्पनियों अथवा लाईसैंसधारियों अथवा किन्हीं अन्य स्रोतों से अनुबन्ध द्वारा किस कीमत पर विद्युत प्राप्त की जाए तथा वितरण लाईसैंसधारियों सम्बन्धी विद्युत क्रय तथा प्राप्ति प्रक्रिया को विनियमित करना।

- राज्य के भीतर विद्युत संचारण तथा व्हीलिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

- राज्य के भीतर संचारण, वितरण तथा विद्युत व्यापारियों को लाईसैंस जारी करना।

- नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोतों तथा सह उत्पादन को विकसित करने हेतु उन्हें ग्रिड से जोड़ने के लिए उपयुक्त उपाय करना, किसी व्यक्ति को बिजली बेचने, तथा इसके साथ ही ऐसे स्त्रोतों से बिजली क्रय करने हेतु वितरण लाईसैंसधारी के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली कुल बिजली की प्रतिषतता निर्धारित करना।

- लाईसैंसधारियों व उत्पादक कम्पनियों के मध्य विवादों का निर्णय करना, किसी विवाद को मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजना।

- अधिनियम के उद्देष्यों की पूर्ति हेतु शुल्क लगाना।

- धारा 79 की उप–धारा (1) के खण्ड (एच) के अन्तर्गत निर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड को निर्दिष्ट करना।

- लाईसैंसधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गुणवता, निरन्तरता तथा विष्वसनीयता के मानक तय करना अथवा उन्हें लागू करना।

- यदि आवष्यक हो तो राज्य के भीतर व्यापार में व्यापारिक मार्जिन निर्धारित करना।

- ऐसे अन्य सभी कार्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे सौंपे जाए।

इसके साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(2) के अधीन आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित अथवा किसी अन्य मामले में परामर्ष प्रदान कर सकता है:–

(i) विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता एवं मितव्ययता को बढ़ावा देना।
(ii) विद्युत उद्योग में निवेष को बढ़ावा देना।
(iii) राज्य में विद्युत उद्योग का पुर्नसंगठन तथा पुर्ननिर्माण।
(iv) विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण, व्यापार अथवा अन्य सम्बन्धित सभी मामले जो कि राज्य सरकार द्वारा आयोग को भेजे जाएं।

4 आयोग के मानव संसाधन

4.1 सामान्य

आयोग में कई अधिकारी/कर्मचारी हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं जो इंजीनियरिंग, वित्तीय विष्लेषण, लेखा, सूचना तकनीक तथा मानव संसाधन प्रबन्ध आदि क्षेत्रों में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। आयोग द्वारा कर्मचारी वर्ग तथा अधिकारियों के सम्बन्ध में सेवा शर्तें अभी तक अधिसूचित नहीं की गई हैं । इस सम्बन्ध में सरकार तथा आयोग के मध्य पत्राचार चल रहा है।

वर्ष के दौरान आयोग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, कार्यालय सहायता तथा अन्य आन्तरिक कार्यों के निष्पादन हेतु वाह्य स्त्रोतों (सर्विस प्रोवाइडर) के माध्यम से सेवायें जारी रखी गई । वर्ष के दौरान आयोग में कुल 28 कर्मचारी कार्यरत रहें तथा अधिकारियों की पर्याप्त संख्या के अभाव में आयोग द्वारा कार्य कुषलता बढ़ाने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में परामर्षदात्ताओं की सेवांए भी ली गई।

आयोग का संगठनात्मक चार्ट परिषिष्ट–1 पर तथा कर्मचारियों की सूची परिषिष्ट–।। पर संलग्न है।

4.2 प्रषिक्षण/ सम्मेलन/कार्यषालाओं तथा बैठकों में भाग लेना

आयोग ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रषिक्षण आवष्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हे पॉवर सेक्टर, पॉवर परचेज अनुबन्ध, अवेलेविलिटी वेसड टैरिफ, पॉवर एक्सचेंज इन इण्डिया, इ–गर्वनैंस, आर टी आई एक्ट, विनियामक सूचना प्रबन्धन प्रणाली और विद्युत अधिनियम के कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्रषिक्षण कार्यक्रम/कार्यषालाओं में भाग लेने के लिये प्रायोजित किया । ये प्रषिक्षण कार्यक्रम/कार्यषालाएं विभिन्न संस्थाओं, जैसे कि फोरम ऑफ इंडियन रेगुलेटरज़, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, कन्फेडरेषन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, इंडिपैन्डेन्ट पॉवर प्रोडयुसर्ज़ एसोसिएषन ऑफ इंडिया, एडमिनिट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेष इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेषन, एस.ए.आर.आई.–यू.एस.एड, एन.टी.पी.सी., सी.आई.आर.ई और इंजीनियरिंग स्टॉफ कालेज

ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित की गई। इन अधिकारियों का विवरण परिषिष्ट III पर दिया गया है ।

4.3 कम्पयूटरीकरण

आयोग की दिन प्रतिदिन की कार्य क्षमता बढ़ाने तथा अध्ययन के दृष्टिगत आयोग के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कम्पयूटर उपलब्ध करवाए गये हैं। कम्पयूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) के साथ जोड़ा गया है ताकि सूचना का आदान–प्रदान प्रभावी एवं विष्वसनीय रूप से किया जा सके। आयोग में एक सर्वर, 24 डैस्कटॉप, 2 लैपटॉप, 13 प्रिंटर तथा एक प्रिंटर कम फोटोकोपियर कम फैक्स, 1 प्रोजेक्टर, दृष्य–श्रव्य सिस्टम तथा अन्य वाह्य हार्डवेयर एवं मानक सॉफ्टवेयर आइटम प्रदान किये गये हैं ।

4.4 वैबसाईट

सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन दी जाने वाली सूचना और हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग विनियम आदि आयोग की वैबसाईट http://www.hperc.org.in में समाविष्ट किये गये हैं । जिनके माध्यम से हिमाचल प्रदेष विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ताओं तथा अन्य लाभार्थियों के लिए आरम्भ की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में सुलभ जानकारी, विस्तृत प्रचार– प्रसार पारदर्षिता से उपलब्ध करवाई गई है।

5 वर्ष के दौरान गतिविधियां

5.1 प्रषासन

संगठनात्मक उद्देष्यों की प्रभावी प्राप्ति के उद्देष्य से आयोग में मिलकर कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया । कार्मिक, प्रशासनिक, वित्तीय तथा विधि शाखाएं आयोग के सचिव के अधीन कार्य कर रही हैं, जो कर्मचारियों की भर्ती, वित्तीय सेवाएं, बजट, क्रय एवं प्रापण, अनुरक्षण एवं देख–भाल, कार्मिक प्रषासन, विधि मामले, प्रषिक्षण तथा कार्य मूल्यांकन जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है। श्री महेष सरकेक द्वारा अपने निर्धारित कार्य के अतिरिक्त 31.5.2006 तक आयोग के सचिव का कार्य किया गया, और 1.6.2006 से श्री अक्षय सूद, एच.ए.एस. ने आयोग के सचिव का कार्यभार सम्भाला। प्रषासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु सचिव को एक कार्मिक एवं प्रषासनिक अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधकारी, दो वरिष्ठ सहायकों, एक वरिष्ठ सहायक (लेखा)–कैषियर द्वारा सहयोग दिया गया ।

5.2 अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती

श्री एल.एम.शर्मा, कार्यकारी निदेषक (टी.ए.) नियुक्त किये गये और 13.7.2006 को उन्होनें कार्यभार सम्भाला । श्री गुलषन अग्रवाल, लेखा अधिकारी को 25.5.2006 को आयोग के उप निदेषक (उपभोक्ता मामले) के पद पर तैनात किया गया । हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग में उप निदेषक (अर्थषास्त्र) के पद पर चुनाव होने पर 30.3.2007 को उन्हें इस आयोग से कार्यमुक्त किया गया । एच पी एम सी के अधिकारी श्री ललित कुमार कुठियाला को प्रतिनियुक्ति पर वरिष्ठ लेखा अधिकारी नियुक्त किया गया और उन्होने 1.6.2006 को कार्यभार सम्भाला । श्रीमति रिंकु गौतम, उप निदेषक (टैरिफ इक्नॉमिक्स), भारतीय मानक ब्यूरों में उप निदेषक (वित्त) के पद पर 31.10.2006 को प्रतिनियुक्त पर गई और इस पद पर श्रीमति नीता गौतम, जो कि हिमाचल प्रदेष योजना विभाग की एक अधिकारी हैं, को उप निदेषक (टैरिफ इक्नॉमिक्स) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया और उन्होने 12. 12.2006 को कार्यभार सम्भाला । एच पी एस ई बी के श्री अजय कौषिष प्रतिनियुक्ति पर निजी सहायक के पद पर नियुक्त किये गये और उन्होने 14.2. 2007 को कार्यभार सम्भाला । हिमफैड के श्री जगत राम, को निजी सहायक के पद के विरुद्ध क्लर्क के पद पर 13.10.2006 को नियुक्त किया गया और योजना विभाग के श्री मेध राम ने 9.9.2006 को चपरासी के पद पर कार्यभार सम्भाला ।

एच पी एम सी के श्री रमेष कुमार ने 1.6.2006 को चालक के पद पर कार्यभार सम्भाला ।

5.3 परामर्शदात्ताओं की सेवाएं

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91(4) के अधीन विर्निमित हिमाचल प्रदेष विद्युत नियामक आयोग (परामर्षदात्ताओं की नियुक्ति) विनियम, 2005 के अधीन विद्युत क्रय तथा प्रापण अनुबंधों, ग्रिड कोड, लोड फोरकास्ट, वितरण एवं संचारण क्षति विष्लेषण, नेटवर्किंग तथा सर्वर प्रबन्धन एवं आयोग के विभिन्न कार्यो से सम्बन्धित तकनीकी तथा विधि मामलों में सहायता प्रदान करने के उद्देष्य से आयोग द्वारा मितव्ययता एवं उपयोगिता के दृष्टिगत तीन तकनीकी व्यक्तियों की सेवाएं रिटेनर परामर्षदाता के रूप में ली । इनके अतिरिक्त आयोग ने प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदाओं के आधार पर टैरिफ याचिका के निर्धारण हेतु तथा अन्य मामलों के लिये भी संस्थागत परामर्षदाताओं की सेवाएं ली ।

5.4 उपभोक्ता प्रतिनिधि

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन उपभोक्ताओं के हितों की पैरवी करने के उद्देष्य से आयोग द्वारा पूर्व में प्राधिकृत श्री प्रेम नाथ भारद्वाज 18.5.2006 को पुनः उपभोक्ता प्रतिनिधि के रूप में अनुबन्धित किया गया ।

5.5 ओमबड्समैन की नियुक्ति

विद्युत अधिनियम, 2003 के सेक्षन 42(6) और हिमाचल प्रदेष विद्युत नियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) विनियम, 2004 के अधीन श्री एन आर गुप्ता ने विद्युत ओमबडसमैन के पद पर अपनी सेवाएं जारी रखी । उपभोक्ता की षिकायतों का फोरम द्वारा निराकरण न किए जाने की स्थिति में या उपभोक्ता फोरम द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्व विद्युत ओमबड्मैन के समक्ष उपभोक्ता अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ओमबडसमैन षिकायतों पर मध्यस्थता करके या आदेष जारी करके ऐसे मामलों का निपटारा कर सकता है । ओमबडसमैन को विनियम की धारा 11, 12 और 13 के अधीन विवादों का समझौता करवाकर, आदेष जारी करने और उनकी अनुपालना को सुनिष्चित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं । ऐसा व्यक्ति जो विद्युत ओमबडसमैन के आदेष से असंतुष्ट हो, आदेष जारी होने के 45 दिन के भीतर आयोग के समक्ष अपील कर सकता है । वर्ष के दौरान विद्युत ओमबडसमैन के पास 10 याचिकाएं दायर की गई जिसमें 3 याचिकाएं टैरिफ से सम्बन्धित थी तथा 7 षिकायतें बिलिंग, मीटरिंग और कम वोल्टेज इत्यादि से सम्बन्धित थी । बिजली बोर्ड ने विद्युत ओमबडसमैन के समक्ष केस लड़ना ठीक समझा, बजाये समझौते द्वारा सेटल करने के । 31.3.2007 तक 10 याचिकाओं में से 6 केस विद्युत ओमबैडसमैन द्वारा निपटाये जा चुके थे और 4 केस निर्णय के लिये लंबित थे ।

5.6 पुस्तकालय

अप्रैल, 2005 से मार्च, 2006 की अवधि के दौरान निम्नमिलिखि पुस्तकें तथा जर्नल आदि खरीदे गये तथा उन्हें पुस्तकालय में रखा गया :–

I. Books

S.No.	Name of Book
1.	AIR Law Manual (Annual subscription 2006)
2.	Service and Selection Laws in India
3.	General Provident Fund Rules
4.	Income Tax Ready Reckoner-2006-07, 07-08
5.	The Electricity Rules, 2005
6.	H.P.Code:- Vol.I; Vol.II; Vol.III; Vol.IV; Vol.V; Vol.VI; Vol. VII; Vol.X; Vol.XI; H.P.Code:- Ist Supplement Code-III Ist Supplement Code-IV Ist Supplement Code-V Ist Supplement Code-VI 2nd Supplement Code-Vol.I, II, IV, V IV, V, VI and VIII
7.	Hand Book on Energy Audit and Environment Management(TERI)
8.	CCS(Leave Rules)
9.	Financial Hand Book No.2(The H.P.Financial Rules,1971) Vol.II, 2nd Edition 2001
10.	The Electricity Rules, 2005
11.	Pension Compilation (CCS Pension Rules)
12.	FRSR Part I General Rules(Fundamental Rules)
13.	Electricity Act, 2003
14.	Electricity Rules, 2005
15.	Regulatory Law in Practice-Compendium of Orders in Electricity and Telecom Sectors (TERI)
16.	The One Percent Doctrine by Ron Suskind
17.	Power Failure: The Inside Story of the Collapse of Enron (Paper back) by Mimi Swarts, Sherron Watkins
18.	An Inconvenient Truth(Paperback) by Al Gore
19.	Harmonic Pollution in Indian Power Systems, its Effects & Remedies

II. Journals

S.No.	Name of Journal
1.	TERI Regulatory (Annual subscription Ist January to December, 2006)
2.	International Journal of Regulation and Governance (IJRG)

	Annual subscription Ist January to December, 2006)

(III) समाचार पत्र कतरन सेवा

राज्य के अन्दर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र में होने वाली अद्यतन गतिविधियों की आयोग को समयक जानकारी प्रदान करने के लिये कार्यालय में दैनिक समाचार पत्र कतरन सेवा आरम्भ की गई है। इन्हें आयोग के अवलोकनार्थ एवं उपयुक्त कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया ।

5.7 संसद/विधान सभा प्रष्न/अतिविषिष्ट व्यक्ति संदर्भ

संसद/विधान सभा प्रष्न तथा अतिविषिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त संदर्भो का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया गया। प्रष्नों तथा अद्यतन जानकारी पर भी तुरंत ध्यान दिया गया । अतिविषिष्ट व्यक्तियों, भारत

सरकार तथा हिमाचल प्रदेष सरकार तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से प्राप्त संदर्भो पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की गई जिसके परिणाम स्वरूप उन संस्थाओं के साथ कारगर संवाद स्थापित हुआ।

5.8 उपभोक्ता विवादों को निपटाने सम्बन्धी फोरम

विद्युत अधिनियम, 2003 के सेक्षन 42 के सेक्षन 181 के अधीन आयोग ने हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता विवादों को निपटाने सम्बंधी फोरम के गठन हेतु दिषा निर्देष) जारी किये हैं । विनियम 3 के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी अर्थात हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत परिषद ने दोषपूर्ण विद्युत आपूर्ति, विद्युत कनेक्षन अथवा अन्य सम्बन्ध सेवाऐं, अधिक वसूली अथवा पुनः वसूली इत्यादि, से सम्बन्धित विवादों को निपटाने के लिये तीन सदस्यीय फोरम का गठन कसुम्पटी षिमला में किया है । उपभोक्ता अपनी षिकायतों का फोरम द्वारा निराकरण न किए जाने की स्थिति में या फोरम द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्व 40 दिन के भीतर विद्युत ओमबड्मैन के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। राज्य विद्युत परिषद से प्राप्त सूचना अनुसार उपभोक्ता विवादों को निपटाने के लिये बनायी गयी आंतरिक प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में प्राप्त और निपटाई गई षिकायतों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

Sr. No.	Nature of Complaints	Number of Complaints received	Number of complaints redressed/ resolved
1.	Interruption/ failure of power supply	6,81,046	6,81,046
2.	Voltage complaints	2,407	2,407
3.	Metering problems/meter shifting	3,050	3,050

4.	Billing problems	1,502	1,502
5.	Reconnection of power supply	1,567	1,567
6.	New connections/extension in load	986	986
7.	Notice of power supply interruption	124	124
8.	Appointments	87	87
9.	Any others	5,745	5,745
	Grand Total	6,96,514	6,96,514

द्वारा : हिमाचल प्रदेष बिजली बोर्ड

6 राज्य आयोग उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा विद्युत सम्बन्धी न्यायाधिकरण द्वारा विवादों का अधिनिर्णय

6.1 राज्य आयोग के समक्ष मामलेः–

आयोग में याचिकाओं, उत्तरों, प्रत्युत्तरों तथा आपत्तियों का अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा परीक्षण किया जाता है । वर्ष 2006–07 के दौरान अयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन विभिन्न याचिकादात्ताओं से 52 याचिकाएं प्राप्त हुई जिनमें से 35 याचिकाओं का निर्णय द्वारा निपटान किया गया तथा 31.3.2007 तक 17 याचिकाएं लम्बित पड़ी थी जिनका विवरण परिषिष्ट **IV** पर दिया गया है।

6.2 माननीय उच्च न्यायालय/विद्युत अपील न्यायाधिकरण, नई दिल्ली तथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलेः

आयोग के कर्मचारी विधिक कार्यों जैसे टिप्पणियां तैयार करना और उच्च न्यायालय, उच्चत्तम न्यायालय तथा अपील न्यायाधिकरण में दायर की जाने वाली याचिकाओं तथा शपथ पत्र तैयार करने में वकीलों से सम्पर्क स्थापित करता है तथा विधिक परामर्ष देने के साथ जब ज़रूरत हो न्यायालय में उत्तर देने तथा विभिन्न विनियमों को तैयार करने में सहायता देता है और साथ में वह आयोग को लम्बित मामलों की अद्यतन स्थिति से भी अवगत करवाता है।

वर्ष के दौरान श्री नरेष कुमार सूद की सेवाएं उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेष में चल रहे मुकद्दमों में पैरवी के लिए स्टैंडिग कॉसल–कम विधि परामर्षदाता के रूप में रिटेनरषिप फीस के आधार पर ली गई थी। श्री राजीव शर्मा वरिष्ठ एडवोकेट की सेवाएं भी माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेष में चल रहे विभिन्न मुकद्दमों में आयोग का पक्ष रखने के लिए ली गई थी। श्रीमती बीनू ताम्टा, एडवोकेट और श्री रंजीत कुमार, वरिष्ठ एडवोकेट, उच्चतम न्यायालय, विद्युत अपील न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में अपील नं0 3 के सम्बन्ध में आयोग का पक्ष प्रस्तुत करने तथा उनकी पैरवी हेतु पेष हुये । श्री संजय सेन, एडवोकेट की सेवाएं भी आयोग द्वारा विद्युत अपील न्यायाधिकरण नई दिल्ली में कई अपील केसों की पैरवी करने हेतु ली गई ।

31.3.2007 तक 17 मामले विभिन्न यूटिलिटीज तथा अन्य **Stakeholder** द्वारा उच्च न्यायालय, विद्युत अपील न्यायाधिकरण नई दिल्ली तथा उच्चत्तम न्यायालय में दायर किए गये। आयोग द्वारा दायर की गई सिविल अपील संख्याः 7229 (2005 की) जिसका उदभूत स्पैषल लीव पिटिषन संख्या 19571, से हुआ, में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेष दिनांक 5
सितम्बर 2005 के तहत माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेष ने अपने आदेष दिनांक 29.5.2006 और 7.12.2006 द्वारा सिविल रिट पिटिषन संख्या.: 61/2004, 117/2004, 426/2004, 428/2004, 429/2004, 434/2004, 449/2004, 454/2004, 969/2005, 931/2005, 954/2005, 810/2005, 853/2005, 828/2005, 514/2005 और 96/2006 को इस निर्देष के साथ निपटाया कि विद्युत अपील न्यायाधिकरण का गठन किया जा चुका है तथा इस द्वारा अपना कार्य भी आरम्भ किया जा चुका है, अतः बोर्ड को 6 सप्ताह के भीतर विद्युत अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई और उच्च न्यायालय में दायर याचिकाएं खारिज की गई, ताकि बोर्ड को विद्युत अपील न्यायाधिकरण के समक्ष वैधानिक रूप में अपील दायर करने का अवसर मिल सके। उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देष दिया गया कि आयोग उपरोक्त अपीलों के सम्बन्ध में परिसीमित समय से सम्बन्धित कोई आपत्ति नहीं उठायेगा तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एड–इन्टरिम स्टे तब तक जारी रहेगा जब तक याचिकाकर्ता विद्युत अपील न्यायाधिकरण में अपील दायर नहीं करता । अपील प्राप्त होने के बाद विद्युत अपील न्यायाधिकरण यह विचार तथा निर्णय करेगा कि क्या उ़च्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेष द्वारा दिया गया इन्टरिम आदेष जारी रहेगा या नहीं ।

एक महत्वपूर्ण अपील नं0 3/2006 के मामले में जो कि लारजी प्रोजैक्ट से सम्बन्धित है और विद्युत परिषद द्वारा दायर की गयी थी, में विद्युत अपील न्यायाधिकरण ने दिनांक 12 जुलाई, 2006 को निर्णय लेते हुए आयोग के फैसले को मान्य ठहराया । विद्युत अपील न्यायाधिकरण ने निर्णय लिया कि आयोग उस हर प्रष्न/बारीकी को जानने के लिये सक्षम है, जिसका सम्बन्ध उपभोक्ता व टैरिफ से है और विद्युत परिषद को यह निर्देष दिया गया कि आयोग द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करे तथा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे ।

आयोग द्वारा सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर की गई सिविल रिट पिटीषन 810/2004 वापिस लिया गया । इस मामले का सम्बन्ध आयोग के विभिन्न मुद्दों जैसे कि फंड स्थापना, सेवा विनियमों को अंतिम रूप देना, सचिव की नियुक्ति और कर्मचारी भविष्य निधि से था।

7 राज्य सलाहकार समिति

आयोग द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2006 को जारी अधिसूचना के अधीन राज्य परामर्ष समिति का पुनर्गठन परिषिष्ट **V** के अनुसार किया गया है । समिति के सदस्य वाणिज्य, कृषि, उपभोक्ता, गैर सरकारी संगठन, विद्युत उद्योग इत्यादि से सम्बन्धित समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं । राज्य के उपभोक्ता मामले व लोक वितरण प्रणाली विभाग के सचिव भी इस समिति के पदेन सदस्य हैं । राज्य आयोग के

अध्यक्ष इस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा आयोग के सचिव समिति के कार्य संचालन प्रभारी हैं।

8 वित्त एवं लेखा

8.1 वित्त

वर्ष 2006–07 में आयोग को 82.11 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया था। 82.11 लाख रुपये के कुल बजट के विरूद्ध आयोग द्वारा मात्र 95.81 लाख रुपये व्यय किए गये। निम्नलिखित तालिका में मुख्यशीर्ष के अधीन स्वीकृत बजट तथा वास्तविक व्यय का विवरण दिया गया है :–

ट्रेजरी के माध्यम से व्यय

(रुपये लाख में)

मुख्य व्यय शीर्ष	स्वीकृत बजट	व्यय	बचतें / आधिक्य
वेतन एवं भत्ते	60.00	73.70	–(13.70)
अन्य स्थापना व्यय	1.55	1.55	–
यात्रा व्यय	0.13	0.13	–
किराया, दरें एवं कर	3.00	3.00	–
कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यय	12.68	12.68	–
व्यवसायिक एवं परामर्ष सम्बन्धी व्यय	4.75	4.75	–
योग	82.11	95.81	13.70

उपरोक्त के अतिरिक्त 26.56 लाख रुपये का व्यय विभिन्न शीर्ष में आयोग के बैंक खाते से किया गया तथा वर्ष 2006–07 के दौरान कुल 122.37 लाख रुपये का व्यय हुआ। ट्रेजरी तथा बैंक के माध्यम से किए गये व्यय का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्षाया गया है :

वर्ष 2006–07 के दौरान आयोग का कुल व्यय

(रुपये लाख में)

मुख्य व्यय शीर्ष	बैंक के माध्यम से व्यय	ट्रेजरी के माध्यम से व्यय	वर्ष 2006–07 के दौरान कुल व्यय
वेतन एवं भत्ते	2ण95	73ण70	76ण65
अन्य स्थापना व्यय	5ण78	1ण55	7ण33
यात्रा व्यय	1ण44	0ण13	1ण57
किराया, दरें एवं कर	9ण17	3ण00	12ण17
अन्य कार्यालय व्यय	6ण93	12ण68	19ण61
व्यवसायिक एवं परामर्ष सम्बन्धी व्यय	0ण29	4ण75	5ण04
योग	26ण56	95ण81	122ण37

8.2 आयोग की प्राप्तियां

वर्ष 2006–07 के दौरान 232.84 लाख रुपये की राषि शुल्क, दण्ड प्रभार तथा अन्य विविध प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुई जिसे आयोग के बैंक खाते में जमा करवाया गया, जो कि हिमाचल प्रदेष सरकार के अनुमोदनानुसार परिचालित किया जा रहा है । 31.3.2007 तक आयोग के बैंक खाते में 762.00 लाख राषि उपलब्ध थी । विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 103 के अधीन राज्य विद्युत विनियामक निधि से सम्बन्धित अधिसूचना राज्य सरकार ने 2006–07 तक नहीं की है और आयोग के वित्तीय कार्यसंचालन हेतू इस साल भी दोहरी प्रणाली ट्रेजरी एवं बैक के माध्यम से जारी रही । प्रदेष सरकार द्वारा आयोग को जनवरी 2005 में आयोग का फंड अधिसूचित होने तक बैंक खाता खोलने की अनुमति प्रदान की गई । आयोग के शुल्क, दण्ड प्रभार और अन्य प्राप्तियों को इस खाते में जमा किया जाना था और उसका उपयोग आयोग द्वारा अपने खर्चे करने के लिये किया जाना था ।

8.3 राज्य आयोग के लेखे तथा लेखा परीक्षाः

आयोग की वर्ष 2005–06 की लेखा परीक्षा मार्च व अप्रैल, 2007 के दौरान भारत सरकार के लेखा नियंत्रक तथा महालेखाकार के लेखा परीक्षा दल द्वारा की गई। लेखा परीक्षा दल द्वारा वित्त वर्ष 2005–06 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। बकाया पैरों की स्थिति का विवरण नीचे दिया जा रहा हैः

बकाया पैरों का विवरण

वर्ष	पुराने तथा नये पैरों की संख्या	वर्ष 2005–06 तक निपटाये गये पैरे	बकाया पैरों की संख्या
2000–02	7	7	.
2002–03	8	8	.
2003–04	8	7	1
2004–05	8	6	2
2005–06	5	0	5
योग	36	28	8

2005–06 के आडिट पैरों का विवरण अनुलग्नक **VI** पर है । यह आडिट पैरे विद्युत अधिनियम, 2003 के धारा 104(4) को मददेनजर रखते हुये संलगित किये गये है ।

8.4 आयोग के लेखों को विधान सभा में प्रस्तुत करनाः

विधुत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) और (3) के अधीन आयोग के लेखे विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने है। आयोग के वर्ष 2001–02 से 2005–06 तक के लेखे विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सके क्योंकि एतद् सम्बन्धी नियमों को हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया गया तथापि सरकार द्वारा

प्रदान किया गया बजट के लेखों को आयोग द्वारा अधिक्य तथा समर्पण विवरण सहित समय समय पर राज्य सरकार को भेजा गया।

9. तकनीकी/विनियामक/टैरिफ मामले

9.1 तकनीकी विष्लेषण (टी.ए.) प्रभाग–

तकनीकी विष्लेषण प्रभाग कार्यकारी निदेषक (टी.ए.) के अधीन कार्य कर रहा है। श्री एल0 एम शर्मा ने इस प्रभाग का कार्य श्री आर0 एस0 जाल्टा की सहायता से देखा। तकनीकी विष्लेषण प्रभाग लागत आवंटन तथा रेट डिजाईन प्रपोजल तैयार करने, उनकी संवीक्षा करने, संचारण एवं वितरण क्षति का आंकलन तथा विष्लेषण, तकनीकी निष्पादन तथा सेवा मानकों का मूल्यांकन, लोड फोरकास्ट, विद्युत क्रय अनुबंधों, ग्रिडकोड, वितरण कोड, आपूर्ति कोड से सम्बन्धित कार्य करता है। प्रभाग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन आयोग द्वारा बनाये जाने वाले विनियमों को तैयार करने का दायित्व भी सौंपा गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग आई.टी. अनुभाग का कार्य भी देखता है। आई.टी. अनुभाग सिस्टम प्रषासन, डिज़ाइन, आयोग की वैबसाईट के विकास, कम्पयूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का रख–रखाव, न्यायालय सम्बन्धी कार्यवाही हेतु आडियो विडियो रिकार्डिंग करना, नियमित बैकअप, दस्तावेजों का सम्पादन तथा मुद्रण, कम्पयूटर प्रषिक्षण, इन्टरनेट से सूचना प्राप्त कर उसे डॉऊन लोड करना, कार्यालय के लिए नवीन आई.टी. आवष्यकताओं का मूल्यांकन, नेटवर्किंग तथा इंटरनेट सम्बन्धी कार्य करता है। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गये :

9.1.1 **विनियम बनाना**: 2006–07 में आयोग ने निम्नलिखित विनियम जारी किए–

- हि0 प्र0 विनियामक आयोग (क्रास सब्सिडी सरचार्ज, अतिरिक्त सरचार्ज व फेजिंग) विनियम, 2006।

ये विनियम 7–12–2006 को राजपत्र में प्रकाषित किये गये थे। ये विनियम क्रास सब्सिडि के निर्धारण की प्रक्रिया, 2011 तक उसकी फेजिंग, इस सरचार्ज का उपयोग व अतिरिक्त सरचार्ज लगाने बारे है।

- हि0 प्र0 विद्युत विनियामक आयोग (स्टेट लोड डिस्पैच केन्द्र द्वारा ट्रांस्मिषन, व्हीलिंग व इन्टरवीनींग सुविधाओं के बदले फीस एकत्रित करने बारे) विनियम, 2006।

- ये विनियम 9.11.2006 को अधिसूचित किये गये थे। प्रदेष के लोड डिस्पैच केन्द्र द्वारा अपनी सुविधायें प्रदान करने के बदले जो फीस ली जानी बनती है वह इन विनियमों के द्वारा निर्धारित की गई है।

9.1.2 **विनियमों का संषोधन**.– आयोग द्वारा मौजूदा विनियमों में संषोधन भी किये गये। निम्नलिखित संषोधन 2006–07 में किये गयेः–

- हि0 प्र0 विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति हेतु व्यय की वसूली) दूसरा संषोधन जो 30.8.2006 को अधिसूचित किया गया था।

- हि0 प्र0 विनियामक आयोग (डिसट्रिब्युषन लाईसेंसी के लिए मानक) (प्रथम संषोधन) विनियम 2006,

आयोग द्वारा इन्हीं मानक विनियमों में त्रुटियों को ठीक करने हेतु अलग से संषोधन की अधिसूचना 11.5.2006 को जारी की गई।

9.1.3 कोड व मानकः

प्रदेष के ग्रिड कोड को अन्तिम रूप दिया गया। वितरण व आपूर्ति कोड के प्रारूप भी तैयार किये गये हैं, जिन पर आयोग में विस्तृत चर्चा की गई व इनको भी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

9.1.4 प्राप्त दस्तावेजों का विष्लेषणः

केन्द्रीय विनियामक आयोग, विनियामकों के फोरम, ऊर्जा मंत्रालय तथा प्रदेष सरकार से प्राप्त दस्तावेजों का भी इस प्रभाग द्वारा विष्लेषण कर आयोग को प्रस्तुत किया गया तथा आयोग के विचार उन्हें समय–समय पर भेज दिये गये।

9.1.5 कॉस्ट डेटा का अनुमोदनः विद्युत आपूर्ति हेतु व्यय की वसूली के विनियमों के विनियम 13 के अन्तर्गत ई एच वी, एच वी तथा एल टी मषीनरी हेतु 2006–07 के लिये बोर्ड द्वारा प्रस्तुत कॉस्ट डेटा को आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया।

9.2 तकनीकी तथा वित्तीय विष्लेषण (टी.एफ.ए.) प्रभागः

तकनीकी तथा वित्तीय विष्लेषण प्रभाग श्री बी०एस० बक्षी कार्यकारी निदेषक (टी. एफ.ए.) के अधीन कार्य कर रहा है। श्री महेष सरकैक द्वारा निदेषक शुल्क इंजीनियरिंग के रूप में कार्य किया गया। यह प्रभाग विद्युत उत्पादन/संचारण एवं वितरण, ऊर्जा क्रय अनुबन्धों की जांच, दीर्घ कालिक टेरिफ सैंटिंग योजना, टैरिफ प्रक्रिया हेतु वित्तीय एवं आर्थिक विष्लेषण, वाणिज्यिक एवं वित्तीय मानक लागू करना, वित्तीय निष्पादन की समीक्षा तथा अनुपालन रिर्पोट तैयार करने के अतिरिक्त वित्तीय जांच–पड़ताल तथा विद्युत उपयोग संवीक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह तकनीकी संवीक्षा प्रभाग के साथ भी सहयोग करता है । आयोग की सभी कार्यवाहियों में भाग लेना तथा समस्त निवेष की समीक्षा तथा अनुमोदन में सहायता करना भी इसका कार्य है। यह प्रभाग आयोग के उपभोक्ता मामलों सम्बन्धी कार्य भी देखता है।

9.2.1 विद्युत क्रय अनुबन्ध.–

वर्ष 2006–07 में प्राप्त अनुबन्धों व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण नीचे दिया गया हैः–

S.No.	Name of the Developer	Name of Project	Installed capacity in MW	District in which located	Action taken by HPERC
1.	Neogal	Om Power Corporation Ltd., New Delhi	15	Kangra	Consent granted subject to certain modifications
2.	Upper Awa	Astha Projects (India) Ltd.,New Delhi	5	Kangra	-do-
3.	Drinidhar	Vamshi Industrial Power Ltd., Hyderabad	5	Kangra	-do-
4.	Upper Khauli	Vamshi Industrial Power Ltd.,	5	Kangra	-do-

		Hyderabad			
5.	Iku-II	Vamshi Hydro Energies Pvt. Ltd., Hyderabad	5	Kangra	-do-
6.	Baner-III	Vamshi Hydro Energies Pvt. Ltd., Hyderabad	5	Kangra	-do-
7.	Luni-II	Sri Sai Krishna Hydro Energies Pvt.Ltd., Hyderabad	5	Kangra	-do-
8.	Luni-III	Sri Sai Krishna Hydro Energies Pvt.Ltd., Hyderabad	5	Kangra	-do-
9.	Taraila-II	Cimaron Construction Pvt. Ltd., Hyderabad	5	Chamba	-do-
10.	Upper Taraila	A.T.Hydro Pvt.Ltd., New Delhi	5	Chamba	-do-
11.	Rakchad	Excel Cars Limited, New Delhi	5	Kinnaur	-do-
12.	Gumma-II	Ravipati Venkateswara Rao, Hyderabad	2.5	Shimla	-do-
13.	Shamshar	Shri Shashi Hydro Electric Power Pvt.Ltd., Sundernagar (HP)	1.5	Kullu	-do-
14.	Balij Ka Nalla (Stage II)	Batot Hydro Power (P) Ltd., Mumbai	3.5	Chamba	-do-
15.	Ani	Growel Energy Company Ltd., Mumbai	5	Mandi	-do-
16.	Kurpan	Trini Hydro Electric Power Ltd.,New Delhi	5	Kullu	-do-
17.	Siunr	B.K.Saini Engineers, Pathankot(Punjab)	1.5	Chamba	-do-
18.	Dehar II	Saini Techno Constructs Pvt. Ltd., Pathankot (Punjab)	1.5	Chamba	-do-
19.	Juthed	H.P.Govt. Energy Development Agency (HIMURJA), Shimla	0.1	Chamba	-do-
20.	Kothi	H.P.Govt. Energy Development Agency (HIMURJA), Shimla	0.2	Kullu	-do-
21.	Kalm	Sun Shine Hydro Power Ltd.,Pathankot(Punjab)	2	Chamba	-do-
22.	Brahl	Sodhi Brothers LLC, Nagrota Bagwan (HP)	4	Kangra	-do-
23.	HUL-II	First Hydro Generation (P) Ltd., New Delhi	3.4	Chamba	-do-

- 2006–07 में आयोग द्वारा 23 क्रय अनुबन्धों को स्वीकृति दी गई जिनकी कुल क्षमता 92.3 मैगावाट थी।

9.2.2 उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटिड द्वारा दायर शुल्क याचिकाः

उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटिड (यू.जे.वी.एन.एल.) द्वारा 2003–04 में वर्ष 2004–05 के लिए पांच जल विद्युत स्टेषनों अर्थात चिबरो, खोडरी, धकरानी, धालीपुर तथा कुलहाल से हिमाचल प्रदेष को दी जाने वाली बिजली के सम्बन्ध में शुल्क निर्धारण हेतु याचिका दायर की गई थी।

आयोग द्वारा अन्तरिम आदेष जारी किया गया जिसमें यू.जे.वी.एन.एल. को निर्देष दिए गये कि मामले के अन्तिम निर्णय होने तक वह हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड को 37 पैसे प्रति युनिट के अस्थाई दर से बिल दें। यह आदेष इसलिये जारी किये गये चूंकि इन बिजली घरों से उत्तरांचल में दी जाने वाली बिजली के शुल्क निर्धारण को उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा राष्ट्रीय बिजली ट्राइब्यूनल व उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस लिये इस याचिका का निपटारा नहीं किया गया ।

9.2.3 जय प्रकाष विद्युत ऊर्जा कम्पनी द्वारा दायर टैरिफ याचिका :

2005–06 में जय प्रकाष ऊर्जा कम्पनी द्वारा बास्पा–।। परियोजना की पूंजी लागत व उसमें से प्राप्त होने वाली बिजली के टेरिफ निर्धारित करने की याचिका प्राप्त हुई थी। विस्तृत सुनवाई के बाद 24 मार्च 2007 को आयोग ने अपना विस्तृत आदेष देकर वहां से प्राप्त होने वाली बिजली का

शुल्क निर्धारित किया। शुल्क निर्धारण के इस आदेष की प्रमुख विषेषतायें इस प्रकार से थीः–

(1) जय प्रकाष ऊर्जा निगम लिमिटड तथा बिजली बोर्ड द्वारा सप्लेमेंटरी करार 28.2.2003 को किया गया था, जिसके तहत परियोजना की लागत 1550 करोड़ निर्धारित की गई थी। यह क्रय करार बिना आयोग की अनुमति से किया गया था। आयोग ने इस करार को विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध पाया तथा इसको रदद् कर दिया था।

(2) जय प्रकाष विद्युत निगम लिमिटड ने इस उपरान्त आयोग के समक्ष बोर्ड को दी जाने वाली बिजली की दरों को निर्धारित करने के लिये याचिका दायर की। याचिका में परियोजना की लागत रूपये 1667.34 करोड़ बताई गई थी। इस राषि में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को 2003–04 तथा 2004–05 में दिये गये रू0 45.11 करोड़ की राषि भी शामिल बताई गई थी। यह राषि झाकड़ी में इन्टरकनैक्षन सुविधा प्राप्त करने के एवज में थी। चूंकि यह राषि 1550 करोड़ रूपये की लागत में शामिल न थी ।

(3) विस्तृत सुनवाई के बाद आयोग ने बास्पा–।। परियोजना की लागत 1533. 96 करोड़ रूपये निर्धारित की जिसमें 45.11 करोड़ रूपये की राषि के विरूद्ध 31.42 करोड़ की राषि भी शामिल थी। इस तरह से आयोग ने परियोजना की लागत रू0 1502.54 करोड़ निर्धारित की जबकि बिजली बोर्ड लागत को रू0 1550 करोड़ मानकर चल रहा था और जय प्रकाष निगम लागत राषि रू0 1622.33 करोड़ का दावा कर रही थी।

9.2.4 2006–07 की वार्षिक राजस्व मांग तथा बिजली बोर्ड के टैरिफ का निर्धारण

हिमाचल प्रदेष बिजली बोर्ड की याचिका पर आयोग ने बोर्ड के लिये 1314.90 करोड़ रूपये की राषि स्वीकृत की । यह आदेष 3 जुलाई, 2006 को जारी किये गये । इससे पहले आयोग ने कई सुनवाईयों का आयोजन किया जिससे कि सभी सम्बन्धित पक्षों की प्रतिकिया जानी जा सके । साथ ही बोर्ड के सदस्यों के साथ भी विस्तृत मषवरा किया गया ।

अपने आदेष में आयोग ने प्रदेष के बिजली क्षेत्र में सुधार के लिये कई दिषा–निर्देष दिये । टैरिफ निर्धारण के आदेष की प्रमुख विषेषताएं इस प्रकार से थी :–

1. घरेलू उपभोक्ताओं के लिये अलग–अलग स्लैबों में 10 से लेकर 35 पैसे प्रति यूनिट शुल्क में कमी की गई ।

2. प्री–पेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिये बिजली दरों में कमी की गई ।

3. छोटे व मंझौले उद्योगों के लिये दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई । साथ ही छोटे उद्योगों के लिये डिमाण्ड शुल्क का युक्तिकरण किया गया ।

4. बड़े उद्योगों के लिये 10 पैसे प्रति यूनिट दर कम की गई।

5. अधिक उर्जा प्रयोग करने वाले उद्योगों पर अन्य बड़े उद्योगों के मुकाबले डिमाण्ड चार्जिस में बढ़ौतरी की गई ।

6. होटल उद्योग को बिजली दरों में राहत दी गई ।

7. होस्टल, अनाथ आश्रम व धर्मार्थ संस्थानों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये बिजली की दर कम करके घरेलू दरें लागू की गई ।

8. मछलीपालन, बागवानी, फूलों की खेती जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये इन्हें कृषि क्षेत्र वाले स्लेब के अन्तर्गत लाया गया जिससे कि इन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके ।

9. आयोग ने बिजली बोर्ड को 13 निर्देष व 5 बिन्दुओं पर परामर्ष भी दिया । ये निर्देष आधुनिकीकरण, मौजूदा परियोजनाओं के नवीनीकरण, बोर्ड की ऋण परियोजना, सहायक/कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती, कर्मचारियों का युक्तिकरण, प्रषिक्षण, घाटों को कम करना, उर्जा आडिट, कॉस्ट आफ सप्लाई स्टडी इत्यादि बारे दिये गये ।

10. आयोग द्वारा बोर्ड को ट्रेडिंग तथा फालतू बिजली से अधिकतम कमाई के बारे में परामर्ष भी दिया । एन0टी0पी0सी0 जैसे केन्द्रीय उपक्रमों की विषिष्ट व बेहतरीन प्रक्रियाओं को बोर्ड तथा उसकी विषेष विद्युत कम्पनियों में लागू करने का परामर्ष दिया गया । लारजी योजना में आई दिक्कतों को देखते हुये बोर्ड को राय दी गई कि वह सबसे अच्छी परियोजनाएं अपने लिये चिन्हित करे । ट्रान्समिषन को सुदृढ़ करने के लिये बाहरी एजेन्सी से सहायता प्राप्त करने की भी सलाह दी गई ।

11. बोर्ड में कर्मचारियों पर हो रहे अधिक खर्चों पर भी आयोग ने चिन्ता व्यक्त की । कर्मचारियों पर खर्चा अभी भी 1.05 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से काफी अधिक है हालांकि यह खर्चा पिछले वर्ष के मुकाबले कम हुआ पाया गया ।

12. आयोग ने बोर्ड के लिये 138 करोड़ रूपये की राषि की "बोर्ड विकास निधि" स्थापित करने का निर्देष दिया । यह निधि पिछले खर्चों पर, अन्वेषण, ढांचागत विकास आदि पर आयोग की अनुमति से किया जा सकता था ।

13. आयोग ने, सरकार को बोर्ड में अपने निवेष को बढ़ाने की सलाह दी और बिजली चोरी को रोकने के लिये विषेष न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया ।

आयोग ने बोर्ड के लिये 1314.90 करोड़ रूपये की राषि का अनुमोदन किया जिससे कि राजस्व घाटा 48.65 करोड़ रूपये का आंका गया था । आयोग के अनुमानों के अनुसार बोर्ड को बाहरी प्रदेषों में बिजली विक्रय से 387.15 करोड़ रूप्ये की आमदनी होनी थी जिससे 145.2 करोड़ रूप्ये का लाभ अनुमानित था । यह लाभ राषि राजस्व घाटे को कम करने के लिये तथा बाकी राषि बोर्ड की विकास निधि को स्थापित करने के लिये काम आनी थी ।

9.3 2005–06 के एजेन्डा पर हुई प्रगति

- **ग्रिड, वितरण व सप्लाई कोड तैयार करना :**

केन्द्रीय विनियामक आयोग द्वारा ग्रिड कोड अधिसूचित करने उपरान्त प्रदेष के ग्रिड कोड पर कार्य जारी रहा । वितरण व सप्लाई कोड के प्रारूप तैयार कर लिये गये व इन पर सम्बन्धित पक्षों से चर्चा की जा रही थी ।

- ट्रान्समिषिन व वितरण घाटों की जांच स्टडी हेतु के0एल0जी0 को 2006 में अनुबन्धित किया गया था । आयोग ने सैम्पल फीडर

28.8.2006 को तथा सैम्पल वितरण ट्रान्सफार्मर 3.11.2006 को अनुमोदित कर दिये थे । उक्त कम्पनी द्वारा नवम्बर, 2006 से मीटर रीडिंग शुरू कर दी गई तथा इनके नतीजों को संकलित किया गया । इस स्टडी के अन्तिम निष्कर्ष 2007–08 में प्रकाषित किये जायेंगे ।

- **डेटाबेस स्थापित करना**

इस बारे में टैण्डर प्रक्रिया शुरू की गई थी, एम0वाई0टी0, रिमज प्रक्रिया के गैर निर्धारण को देखते हुये, इस प्रस्ताव को फिलहाल लम्बित रखा गया है ।

- **लोड फोरकास्ट, संसाधन योजना व बिजली क्रय प्रक्रिया**

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत लोड फोरकास्ट, योजनाओं व स्कीमों का आयोग द्वारा निरन्तर अवलोकन किया गया ।

- **जन सम्पर्क कार्यक्रम**

आयोग तथा बिजली लोकायुक्त द्वारा बोर्ड के जन सम्पर्क कार्यक्रम की समीक्षा की गई व इसमें हुई प्रगति असंतोषजनक पाई गई । इसलिये आयोग ने मौजूदा कार्यक्रम (पी0आइ0पी0) में संषोधन करने का निर्णय लिया जिस बारे कार्यवाही की जा रही है ।

10. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

वर्ष के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 2 याचिकाएं प्राप्त की गई जिनका निर्धारित समय में निपटारा कर दिया गया। सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 4(1) (इ) के तहत वांछित अपडेटिड सूचना आयोग की बेवसाईट पर उपलब्ध है । आयोग ये सम्बन्धित सूचना और अन्य सम्बद्ध गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है :–

10.1 संगठन की विषिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

10.1.1 संगठन

कृप्या क्रम सं0 1 शीर्षक "परिचय" और क्रम सं. 2 शीर्षक "आयोग एवं इसका सचिवालय" को देखें ।

10.1.2 आयोग के कार्य और कर्तव्य ;

कृप्या क्रम सं0 3 शीर्षक "आयोग के कार्य" को देखें ।

10.2 आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

आयोग अपना कार्य तीन प्रभागों नामतः प्रषासनिक एवं विधि, तकनीकी विष्लेषण और टैरिफ एवं वित्तीय विष्लेषण के द्वारा कर रहा है, जिनके कर्तव्य और जिम्मेवारियां निम्न प्रकार हैं :–

– प्रषासनिक, वित्तीय एवं विधि विभाग

कृप्या क्रम सं. 5.1 शीर्षक "प्रषासन" देखें ।

– तकनीकी विष्लेषण प्रभाग

कृप्या क्रम सं. 9 शीर्षक "तकनीकी/विनियामक/टैरिफ विष्लेषण मामले" को देखें ।

– टैरिफ और वित्तीय विष्लेषण प्रभाग

कृप्या क्रम सं. 9 शीर्षक "विनियामक/टैरिफ विष्लेषण मामले" को देखें ।

10.3 विनिष्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं ;

10.3.1 आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य/कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिये लम्बवत और समस्तरी प्रणाली अपनाई गई है और मुख्य निर्णय आयोग स्तर पर लिये जाते हैं ।

10.3.2 आयोग के समक्ष कार्यवाही करने के लिये कार्यविधि हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2005 के अध्याय . प् में निर्दिष्ट है।

10.4 आयोग द्वारा इसके कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान ;

आयोग द्वारा इसके कृत्यों के निर्वहन के लिये कोई विषिष्ट मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं । नामावली में दिये गये कर्मचारी और हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (परामर्षदाता की नियुक्ति) विनियम, 2005 के अनुसार नियुक्त किये परामर्षदाता आयोग को उसके कार्यों का निर्वाह करने में सहयोग कर रहे हैं।

10.5 अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेष, निदेर्षिका और अभिलेख ;

10.5.1 नियम और विनियम

10.5.1.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 राज्य विद्युत विनियामक आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये विनियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है ।

10.5.1.2 हिमाचल प्रदेष आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों का अद्यतन ब्यौरा निम्नानुसार है :–

Sr.No.	**Regulation**	**Date of Notification in Rajpatra**
1.	HPERC (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003 First Amendment Second Amendment Second Amendment	24.10.2003 22.06.2004 19.5.2005 19.05.2005
2.	HPERC (State Advisory Committee) Regulations, 2004	22.6.2004
3.	HP Electricity Ombudsman (Terms and Conditions of Service of Officers & Employees) Regulations, 2004	19.04. 2004
4.	HPERC (Licensee's Duty for Supply of Electricity on Request) Regulations, 2004	22.06. 2004
5.	HPERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2004	09.06.2004
6.	HPERC (Security Deposit) Regulations, 2004	30.03. 2005
7.	HPERC (Procedure for filing appeal before the Appellate Authority) Regulations, 2005	24.03. 2005
8.	HPERC (Manner of Service and Publication of Notice by the State Commission) Regulations, 2005	24.03. 2005
9.	HPERC (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2005	04.04.2005
10.	HPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2005	03.06.2005
11.	HPERC Draft (Terms and conditions of service of Officers & Employees) Regulations, 2004	16.09.2004
12.	HPERC (Appointment of Consultants) Regulations 2005	25.7.2005
13.	HPERC (Guidelines for formats for tariff filing) Regulation 2005	31.10.2005

14.	HPERC (Distribution Licensee's Standard of Performance) Regulation 2005	31.10.2005
15.	HPERC (Treatment of income of other businesses of transmission and distribution licensees) Regulation 2005	2.12.2005
16.	HPERC (Charges for transmission, wheeling and intervening facilities & fees and charges to be collected by the SLDC) Regulation 2006	16.9.2006
17.	HPERC (Cross Subsidy Surcharge, Additional Surcharge and Phasing of Cross Subsidy) Regulations, 2006	

इन विनियमों को आयोग की बैबसाइट पर देखा जा सकता है ।

10.5.2 निर्देष, नियमावली और अभिलेख

उपरोक्त विनियमों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इसके कार्यं निर्वहन को सुगम बनाने के लिये निम्नलिखित दिषा निर्देष/ आदेष/धारणा पत्र अधिसूचित किये गये हैं :–

1. Guidelines for load forecast, Resource Planning and Power Procurement Process.
2. Concept paper on reorganization and restructuring HPSEB.
3. Directions for the Approval of Hydro Electric Projects in the State of Himachal Pradesh, 2005.

10.6 ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ;

10.6.1 आयोग द्वारा इसके अधीन अनुरक्षित दस्तावेजों का वर्गीकरण इस प्रकार से हैः–

(i) The petitions filed by the various agencies and consumers on matters falling in the ambit of the functions assigned to the Commission and Orders issued thereof.

(ii) Matters on which the statutory advice to the State Government has been given under sub-section 2 of Section 86 of the Electricity Act,2003,

(iii) Investigation of matters under Section 128 of the Act.

(iv) Correspondence on appointment of consultants engaged by the Commission for providing assistance on determination of generation, transmission, Bulk and retail supply tariffs, various studies for HPSEB, preparation of regulations, legal and technical assistance etc.

10.7 किसी व्यवस्था की विषिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्ष के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है ;

10.7.1 आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 की उप धारा (3) के अनुसार आयोग के समक्ष ही उपभोक्ता हितों हेतु बिजली बोर्ड के एक रिटायर्ड इंजीनियर, श्री पी. एन. भारद्वाज को नियुक्त किया गया है । इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा बनाये गये रेगुलेषनज/दिषानिर्देषों को अंतिम रूप देने से पहले समय समय पर ड्राफट विनियम/ दिषानिर्देषों

पर टिप्पणियां और सुझाव समाचार पत्रों/गजट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं ।

10.8 ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता मे लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, का विवरण ;

कृप्या क्रम संख्या 7 शीर्षकयुक्त "राज्य सलाहकार समिति" देखें ।

10.9 आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देषिका ;

10.9.1 हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग, क्योंथल व्यावसायिक परिसर, खलिणी, षिमला –171002 की दूरभाष विवरणिका

EPABX: 2627263, 2627907, 2627908

FAX: 2627162

E-MAIL: **hperc@rediffmail.com**

WEBSITE: http://www.hperc.org.in

10.9.2 आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दूरभाष निर्देषिका

Sr. NO	NAME	DESIGNATION	OFF.NO	RES.NO.
1.	Sh. Yogesh Khanna	Chairman	2627262	2627640
2.	Sh. Akshay Sood	Secretary	2621003	2672802
3.	Sh. B.S.Bakshi	Executive Director (TFA)	2627983	2806795
4.	Sh. L.M. Sharma	Executive Director (TA)	2627978	2841516
5.	Sh. Mahesh Sirkek	Director (Tariff Engineering)	Extn.-306	2811633
6.	Sh. R.S.Jalta	Director (T&D)	Extn.-305	2670596
7.	Sh. Tushar Gupta	Deputy Director	Extn.-309	2655082
8.	Dr. Neeta Gautam	Deputy Director	Extn.-319	2624618
9.	Sh. J.S.Raitka	Personal & Admn. Officer	Extn.-318	2674033
10.	Sh. Lalit K. Kuthiala	Sr. Accounts Officer	Extn.-222	2813184
11.	Sh. N.K.Vinayak	A.P.S.	2624525	-
12.	Sh. Vakil Singh	Private Secretary	2627262	2806208
13.	Sh. Mohinder Singh	P.A.	2621003	2837249
14.	Sh. Satish Gharu	P.A	2627978	2623477
15.	Sh. Ajay Kaushish	P.A.	Extn.-321	2805744
16.	Sh. B.S.Kanwar	Sr.S.S.	2627262	5533690
17.	Sh. Sushil Kashyap	Sr.Assistant	Extn.-316	2842831
18.	Mrs. Rama Mahajan	Sr. Assistant	Extn.-312	2674858
19.	Sh. Kamal Dilaik	Sr. Assistant	Extn.-311	2628025
20.	Mrs. Gurvinder Kaur	Sr.Scale.S.	Extn.-317	2837118
21.	Sh. Dinesh Kumar	Jr.S.S.	Extn.-314	94184-50018
22.	Sh. Om Parkash	Driver		2838248
23.	Sh. Ramesh Chand	Driver		98160-41592
24.	Sh. Man Mohan	Peon		2624013
25.	Sh. Kishori Lal	Peon		2626745
26.	Sh. Med Ram	Peon		98160-21866
27.	Sh. Jagat Ram	Clerk		--

10.10 प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक जिसके अर्न्तगत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो ;

10.10.1 31.3.2007 तक प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की कुल मासिक आय का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

dz-la-	Ukke vkSj inuke	dqy vk;
1.	SH. YOGESH KHANNA, CHAIRMAN	31235(after pension deduction)
2.	SH. AKSHAY SOOD, SECRETARY	35604
3.	SH. B.S. BAKSHI, EXECUTIVE DIRECTOR (TFA)	46473
4.	SH. L.M. SHARMA, EXECUTIEV DIRECTOR (TA)	47273
5.	SH. MAHESH SIRKEK, DIRECTOR (TE)	37384

6.	SH. R.S.JALTA, DIRECTOR (T&D)	37878
7.	SH. TUSHAR GUPTA, DEPUTY DIRECTOR	23839
8.	DR. NEETA GAUTAM, DEPUTY DIRECTOR TARIFF (E)	27768
9.	SH. VAKIL SINGH, PS	29414
10.	SH. J.S.RAITKA, PAO	21807
11.	SH. LALIT KUMAR KUTHIALA, SR. AO	24645
12.	SH. N.K. VINAYAK, PS	30000
13.	SH. SATISH GHARU, PA	21452
14.	SH. AJAY KAUSHISH, PA	21583
15.	SH. MOHINDER SINGH, SR. S.S.	23876
16.	SH. B.S. KANWAR, SR.S.S.	14670
17.	MS GURVINDER KAUR, SR.S.S.	13142
18.	SH.DINESH KUMAR, JR S.S	9859
19.	SH. SUSHIL KASHYAP, SR. ASSTT.	21452
20.	MS. RAMA MAHAJAN, SR. ASSTT.	13660
21.	SH. KAMAL DILAIK, SR. ASSTT.	13003
22.	SH. OM PARKASH, DRIVER	18524
23.	SH. RAMESH CHAND, DRIVER	10890
24.	SH. MANMOHAN LAL, PEON	10116
25.	SH. KISHORI LAL, PEON	6178
26.	SH. MED RAM, PEON	8958
27.	SH. JAGAT RAM, CLERK	10020

10.10.2 कर्मचारियों के सेवा विनियम अभी तक सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये हैं। सेकंडमैंट पर लिये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते उनकी अंतिम सेलरी स्लिप के आधार पर दिये जा रहे है, जबकि नियमित एवं स्थायी तौर पर समायोजित किये गये कर्मचारियों को वेतन ड्राफट सेवा विनियम, 2004 के आधार पर दिये जा रहे हैं ।

10.11 सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विषिष्टियां उपदर्षित करते हुये प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट ;

कृप्या पैरा संख्या 8 शीर्षक "वित्त एवं लेखा" देखें ।

10.12 उपदान राषि कार्यक्रमों के आबंटन का विवरण व लाभार्थियों का विवरण;

आयोग एक अर्ध–न्यायिक निकाय है और उपदान कार्यक्रमों को लागू करना इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता ।

10.13 आयोग द्वारा दी गई रियायतों, अनुज्ञापत्रों या परमिटों का विवरण ;

आयोग द्वारा इस प्रकार की कोई भी छूट, अनुज्ञा अथवा प्राधिकता प्रदान नहीं की जाती ।

10.14 किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसके उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों ;

आयोग द्वारा जारी किये गये सभी विनियम/दिषा निर्देष और महत्वपूर्ण आदेष इलैक्ट्रिोनिक रूप में आयोग की बेबसाईट **http/www.hperc.org.in** पर उपलब्ध हैं।

10.15 सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं, जिनमें पुस्तकालय या वाचन कक्ष हों, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, उनका विवरण ;

हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार संचालन) विनियम, 2005 के विनियम 23 के अनुसार प्रत्येक कार्यवाही का रिकॉर्ड, पार्टियों अथवा उनके स्वीकृत प्रतिनिधियों को किसी भी समय, कार्यविधि के दौरान अथवा आदेष जारी होने के बाद, निर्धारित फीस जमा करके और अन्य शर्तों को पूरा करने के पश्चात निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाया जा सकता है । दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी निर्धारित फीस जमा करवाकर और उपरोक्त विनियम के विनियम 24 में वर्णित विधिनुसार प्राप्त की जा सकती हैं । आयोग का पुस्तकालय सार्वजनिक नहीं है ।

10.16 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पद और अन्य विषिष्टियां ;

सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 5 और 9 की अनुपालना में अधिसूचित किये गये लोक सूचना अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है :–

1.	अपील प्राधिकारी	सचिव, हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग
2.	लोक सूचना अधिकारी	श्री जे.एस.रेटका, कार्मिक एवं प्रषासनिक अधिकारी
3.	सहायक लोक सूचना अधिकारी	श्री मति रमा महाजन, वरिष्ठ सहायक

10.17 ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाषित करेगा और तत्पष्चात् इन प्रकाषनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा ।

अन्य कोई सूचना वर्णित नहीं है ।

11. वर्ष 2007–08 की कार्यसूची

वर्ष 2007–08 के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित कार्य सूची रखी गई है:–

- हिमाचल प्रदेष विद्युत ग्रिड, वितरण एवं आपूर्ति कोडो को अन्तिम रूप देना।
- लोड फोरकास्ट की समीक्षा।
- हिमाचल प्रदेष विद्युत बोर्ड के संचारण तथा वितरण क्षति से सम्बन्धित स्टडी पूर्ण करना।
- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन वांछित विनियमों को अन्तिम रूप देना
- सार्वजनिक विचार–विमर्ष कार्यक्रम (पी.आई.पी.) की समीक्षा।
- वर्ष 2007–08 के दौरान सम्भावित ए.आर.आर. तथा टैरिफ फाईलिंग के सम्बन्ध में शुल्क आदेष।
- ऊर्जा क्रय अनुबन्ध की समीक्षा व अनुमोदन ।
- आयोग द्वारा जारी किए गये विभिन्न निर्देषों तथा विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- राज्य के भी ए0बी0टी0 आधारित टैरिफ को बढ़ावा देना ।
- विद्युत विनियमों को सषक्त ढंग से पालन करवाना ।
- लाइसेंसी द्वारा दिये गये कास्ट डेटा बुक का अनुमोदन ।
- बहु–वर्षीय टैरिफ प्रणाली पर विनियम व चर्चा पत्र जारी करना ।

———————